# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07/2024

| **प्रार्थी–** | ***बनाम*** | **अप्रार्थीगण–** |
| --- | --- | --- |
| जयप्रकाश पुत्र रामकिशोर जाति अग्रवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर | | 1. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी<br>2. गंगाराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर |

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 141 दिनांक 22.01.2001 जो ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–
1. श्री प्रेमाराम सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

## निर्णय

दिनांक : 17.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गुड़ामालानी की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 141 दिनांक 22.01.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पिता तेजाराम पुत्र आदूराम जाति विश्नोई निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अधीन ग्राम गुड़ामालानी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 141 दिनांक 22.01.2001 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं [illegible] मे वर्णित अनुसार 41844 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत गुड़ामालानी [illegible] बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गुड़ामालानी का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्राचार क्रमांक 1116 दिनांक 23.07.2024 द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी में उक्त पट्टा से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1858/1716 में से निगरानीकर्ता द्वारा राज्य हित मे समर्पण द्वारा मेगा हाईवे से गुड़ामलानी जाने वाली सम्पर्क रोड़, रिंग रोड़ बनी है तथा जिसका खसरा नंबर 1885/1716 बना। उक्त सड़क निगरानीकर्ता की खातेदारी भूमि के बीच मे से निकलने के कारण निगरानीकर्ता की उक्त भूमि दो भागों में विभक्त हो गई। उक्त दोनो खसरों की भूमि को निगरानीकर्ता ने तहसीलदार गुड़ामालानी से अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन दिनांक 30.06.1993 को करवाया। निगरानीकर्ता ने दोनों भूखण्डो मे नीवें वर्ष 2004 में चार दीवारी बनाई। निगरानीकर्ता की भूमि में से जो सम्पर्क सड़क निकली है उसके दक्षिण मे स्थित भूखण्ड की पूर्वी भुजा 113 फीट, पश्चिमी भुजा 140 फीट, उतरी व दक्षिण भुजा 223 फीट है। जिसके चारो ओर चारदीवारी बनाकर निगरानीकर्ता का गेट उत्तर दिशा मे बनाया हुआ है। इस भूखण्ड पर निगरानीकर्ता द्वारा बिजली व पानी के कनेक्शन ले रखा है। निगरानीकर्ता के स्वामित्व व कब्जासुदा भूखण्ड के पडौस मे उतर में गुड़ामालानी जाने वाली सम्पर्क रोड़, दक्षिण में पंचायत की भूमि जिस पर विप्रार्थी संख्या 2 अपने पट्टे वाली बता रहा है जबकि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 के पिता के पक्ष में पट्टा संख्या 14 जारी नहीं किया गया। इस फर्जी पट्टे के आधार पर विप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी की भूमि पर गत वर्ष से अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिकार जता रहे है। उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन व प्रस्ताव एवं पट्टा जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विवादित पट्टा संख्या 141 बिना कोई प्रोसिडिंग अपनाये फर्जी तथा कूट रचना करके बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद जांच विवादित पट्टा सं. 141 दिनांक 22.01.2001 को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करते हुए निरस्त फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पिता तेजाराम पुत्र आदूराम जाति विश्नोई निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अधीन ग्राम गुड़ामालानी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 141 दिनांक 22.01.2001 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 41844 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि विप्रार्थी संख्या 2 के पिता ने उक्त पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत गुड़ामालानी को किसी प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और न ही उस आवेदन पत्र के आधार [illegible] कायम की गई। विप्रार्थी संख्या 2 के पिता ने [illegible] रूप से प्रभावित कर अपने पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से [illegible] जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जो निरस्त योग्य है। हमने अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] सुना एवं दस्तावेजात का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया जिसमें पाया जाता है कि उक्त पट्टा विलेख से सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1116 दिनांक 23.07.2024 में अवगत कराया है कि 'तेजाराम के नाम पट्टा संख्या 141/2001 से संबंधित ग्राम पंचायत गुड़ामालानी में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है'। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित है कि आलौच्य पट्टा जारी करने से संबंधित किसी प्रकार की पत्रावली संधारित नहीं की गई है न ही कोई विधिवत् प्रक्रिया अपनाई गई है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा केवल आलौच्य पट्टा जारी कर उसे पंजीबद्ध कराया जाना प्रतीत होता है जो कि अवैध एवं अनियमित होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा बैठक दिनांक 22.01.2001 में पारित प्रस्ताव सं. 3 एवं उसके अनुसरण जारी पट्टा संख्या 141 दिनांक 22.01.2001 में की गई कार्यवाही को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

( टीना डाबी )
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:56 IST
Reason: SelfAttested